मंदिर में दान-पात्र का ताला तोड़कर चोरी का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना इलाके में एक आश्रम के महादेव मंदिर में दानपात्र में हुई चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। उद्योग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि 19 मार्च को फरियादी दशरथ दास ने थाने मे रिपोर्ट दी थी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा था कि 18 मार्च की देर रात्रि को एक अज्ञात चोर मुंह बांधकर आश्रम मे प्रवेश कर मंदिर के बाहर रखे दानपात्र का ताला तोड़कर उसमे रखी 7 से 8 हजार रूपये की राशि को ले गया। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मंदिर परिसर मे लगे सीसीटीवी के फुटैज खंगाले गये और मामले में टीम ने कार्यवाही करते हुए आहुजा नगर निवासी शिवम शाक्यवाल उर्फ सोनू (22) को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी प्राईवेट कंपनी के पार्सल डिलिवरी का कार्य करता है और कार्य के दौरान ही रात्रि में सूने मंदिरो मे दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी करने लग गया। पकड़े गये आरोपी ने पूछताछ के दौरान उद्योग नगर थाना के साथ-साथ बोरखेड़ा व आरकेपुरम मे भी आधा दर्जन से अधिक मंदिरों के दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को करना कबूल किया है।

327 किलो गांजा सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही के तहत सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) जयपुर के अधिकारियों की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भरतपुर में राजस्थान व उत्तरप्रदेश की सीमा पर कार्यवाही की और एक ट्रक को जब्त कर 327.880 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो जनो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदशन में की गई। उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि 20 मार्च को मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति बंगाल से जयपुर श्रेत्र में डिलिवरी के लिये एक ट्रक में तस्करी की गई अवैध गांजा को लेकर जा रहे है।

बकाया कर वाले वाहन जब्त होंगे, परिवहन विभाग सख्त हुआ

रामगंजमण्डी,(निसं)। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में भार वाहनों के वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर जमा की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 थी। जिन भार वाहनों ने 15 मार्च तक कर जमा नही कराया है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय में 799 वाहनों में से अभी तक 638 वाहनों से 3.08 करोड़ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर जमा हुआ है शेष बचे 161 वाहनों को कार्यलय द्वारा चिन्हित कर लिया गया है तथा बकाया कर वाले वाहनों की सूची कार्यालय में तैनात दो उड़नदस्तों को दी जाकर वाहनों के जब्ती के निर्देश दे दिये गये हैं। 15 मार्च के बाद आज तक विभाग के उडनदस्तों द्वारा 36 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कर 10.80 लाख रू. का कर व पेनल्टी वसूली की गई है। बकाया कर वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही 31 मार्च 2025 तक लगातार जारी रहेगी। इसके लिये दो उड़नदस्तों को तैनात कर दिया गया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए ई- रव्वना से प्राप्त सूचना अनुसार बने ओवरलोड चालानों पर 95 प्रतिशत छूट की स्कीम लागू की गई है। इसी प्रकार नष्ट हो चुके वाहनों पर बकाया कर को 100 प्रतिशत माफ किया जावेगा।

उक्त जानकारी देते हुए रामचरण मीणा जिला परिवहन अधिकारी रामगंजमण्डी ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि ई-रव्वना के ओवरलोड चालानों पर 95 प्रतिशत और नष्ट हुए वाहनों पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं साथ ही भार वाहनों का कर जमा करावें। जिससे अनावश्यक वाहनों की जब्ती से होने वाले आर्थिक नुकसान पेनल्टी व जुर्माने से बचा जा सकें। समस्त प्रकार के वाहनों का कर वाहन सिटीजन पोर्टल पर व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर जाकर वाहन के रजिस्टर्ड नं. दर्ज किया जाकर कर ऑनलाईन जमा होगा। कर संबंधी जानकारी एवं समस्या समाधान हेतु कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक विपिन कुमार (7665555410) से प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक सम्पर्कि किया जा सकता।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। नाबालिग से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में पोक्सो क्रम-5 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि पीड़िता द्वारा 2 जनवरी 2023 को कोटा ग्रामीण के एक थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि वह घर के बाहर चबूतरे पर कुछ सहेलियों के साथ बैठी थी उनके जाने के बाद जब वह चबूतरे पर अकेली बैठी थी तो केवल काछी आया और हाथ पकड़ कर जबरदस्ती उसको ले गया और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए केवल काछी को पोक्सो व दुष्कर्म की धारा मे गिरफ्तार किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में 20 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-2133 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-19.3.2025

नगर विकास न्यास कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल विस्तार योजना के भूखंड/आवास संख्या 242 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 04.12.2000 को मै. जिन्द्रान मे.के. एण्ड फेब्रीकेशन वर्क्स प्रो. श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री जमालुद्दीन को किया गया था। मै. जिन्द्रान मे.के. एण्ड फेब्रीकेशन वर्क्स प्रो. श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री जमालुद्दीन द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती कृष्णा धाभाई पत्नी श्री राजकिशोर द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2019 को श्रीमती कृष्णा धाभाई पत्नी श्री राजकिशोर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखंड का जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2024 को श्री धनराज गर्ग पुत्र श्री सूरजमल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 242 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल विस्तार का नाम हस्तान्तरण श्री धनराज गर्ग पुत्र श्री सूरजमल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/19060 दिनांक: 19.03.2025

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकुट बिहारी नागर पुत्र श्री चेतराम नागर एवं श्री कौशल किशोर नागर पुत्र श्री चेतराम नागर निवासी भूखंड संख्या 260-ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 260-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 260-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का स्वामित्व नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक ननिकोद/भ.नि.अनु./2020/8564-65 दिनांक 16.12.2020 से श्री मुकुट बिहारी नागर पुत्र श्री चेतराम नागर एवं श्री कौशल किशोर नागर पुत्र श्री चेतराम नागर के नाम हस्तांतरित किया गया। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, विज्ञान नगर जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/19288 दिनांक: 21.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पुष्पा देवी पारेता पत्नी स्व. श्री रुपचन्द पारेता निवासी 53-ए केशवपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 53-ए केशवपुरा कोटा (राज.) क्षेत्रफल-90.48 वर्गमीटर का स्वामित्व हस्तांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पत्रांक एफ (2653)आवंटन/न.वि.न्या. दिनांक 07.09.1988 से श्री रुपचन्द पारेता पुत्र श्री भेरु लाल को किया गया है। श्री रुपचन्द पारेता पुत्र श्री भेरु लाल की मृत्यु दिनांक 11.08.1994 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती पुष्पा देवी पारेता पत्नी स्व. श्री रुपचन्द पारेता, श्री ब्रजमोहन पारेता, श्री दिनेश कुमार पारेता, श्री ओम प्रकाश पारेता, श्री रामेश्वर पारेता, श्री विनोद पारेता एवं श्रीमती गुड्डी बाई पिसरान स्व. श्री रुपचन्द पारेता ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 14.06.2022 से उक्त भूखंड में से अपना हक श्रीमती पुष्पा देवी पारेता पत्नी स्व. श्री रुपचन्द पारेता के पक्ष में त्याग दिया है। श्रीमती पुष्पा देवी पारेता पत्नी स्व. श्री रुपचन्द पारेता के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

साईबर ठगी का फरार ईनामी आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। साईबर टीम पुलिस ने कार्यवाही करते हुए साईबर ठगी के एक साल से फरार चल रहे 5000 के ईनामी आरोपी को पश्चिम बंगाल से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है।

साईबर थाने के थानाधिकारी सतीश चंद ने बताया कि साईबर ठगी के मामले में एक साल से फरार चल रहे आरोपी रतिन्द्र नाथ राजवंशी (34) को पश्चिम बंगाल से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया।

मामले में फरियादी ने 29 मार्च 2023 को रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि उसके मोबाईल पर एक एसएमएस आया जिसको ओपन करने से फरियादी के खाते से 1 लाख रूपये का ट्रांसजेक्शन हो गया।

प्रकरण में अनुसंधान के बाद ज्ञात हुआ की ठगी की राशि आरोपी रतिन्द्रनाथ के खाते में ट्रांसफर हुई जिसमें मुल्जिम को गिरफ्तार करने के टीम पश्चिम बंगाल भेज दी गई और टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कार्यशाला हुई

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी स्थित मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 'बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) जागरूकता' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मोदी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन सुशील मोदी तथा ग्रुप डायरेक्टर राघव मोदी ने संगोष्ठी के उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के डीन अकादमिक डॉ.डी.के.पलवलिया का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

भगवान आदिनाथ जयंती को लेकर व्यापक तैयारियां प्रारंभ

भवानीमंडी, (निसं)। आगामी 23 मार्च को दिगंबर जैन संत आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के आगमन एवं भगवान आदिनाथ की जयंती को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है।

समाज के अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि 23 मार्च की प्रात: 7.00 बजे आचार्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर महाराज का भवानीमंडी शहर में भव्य प्रवेश होगा एवं इसी दिन उनके सानिध्य में भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती का महोत्सव पूरे हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाई जाएगी। विजय जूली ने बताया कि 23 मार्च सुबह 7.00 स्टेशन चौराहे पर आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की भव्य अगनी की जाएगी। वहीं से भगवान आदिनाथ जयंती का भव्य जुलूस प्रारंभ होगा जो शहर के प्रमुख को मार्गो से होता हुआ राधेश्याम मंदिर की बगीचे में पहुंचकर संपन्न होगा जहां मुनि के प्रवचन एवं भगवान श्री के कलशाभिषेक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान समूचे शोभायात्रा मार्ग को 101 भव्य स्वागत द्वार से सजाया जाएगा। एवं स्थान पर प्रज्ञा सागर महाराज का पाद परक्षालन किया जाएगा। जुलूस में बैंड-बाजे घोड़े जावरा के लोक कलाकार अपने नृत्य की प्रस्तुति देते हुए चलेंगे।

कार्यक्रम को भव्य एवं सुंदर बनाए जाने को लेकर भवानीमंडी शहर के सभी सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। प्रज्ञा सागर महाराज 28 मार्च को गरोठ की ओर बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन राधेश्याम मंदिर बगीचे में प्रात: 8.30 बजे आचार्य के प्रवचन होंगे एवं संध्याकाल में आनंद यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

भवानीमंडी में आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज का होगा मंगल प्रवेश

भवानीमंडी, (निसं)। करीब दस वर्ष के पश्चात् भवानीमंडी मे आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज का 23 मार्च को श्री आदिनाथ जन्म जयंती पर भवानीमंडी मे होगा मंगल प्रवेश।

कोटा से विहार कर भेसोदा मंडी पहुंचे आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज का सकल जैन समाज के लोगो ने भेसोदा रेल्वे फाटक के यहां आगवानी की जहाँ से समाज जन बेंडबाजो से आचार्य को लेकर भेसोडामंडी के परम्परा रिसोर्ट पुलिस चौकी के सामने पहुंचे जहाँ आचार्य श्री संघ की आहार चर्या हुई। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के 22 मार्च को सुबह 9 बजे प्रवचन होंगे शाम को 7 बजे आनंद यात्रा का होंगी। इसके पश्चात 23 मार्च को सुबह भेसोदामंडी से स्टेशन तिराहे के यहां से महाराज का मंगल प्रवेश भवानीमंडी में होगा।

खोया पाया

रामकुमार गौतम पुत्र लक्ष्मी नारायण गौतम मकान नं. 904 सेक्टर-7 केशवपुरा का आवंटन पत्र गुम हो गया है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

आम सूचना का खण्डन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा एक आम सूचना दिनांक 16.03.25 को राष्ट्रदूत अखबार में इस बाबत दी गई थी कि मेरे पक्षकार दौलतराम लालवानी के पुत्र टीकम लाल लालवानी का व्यवहार मेरे पक्षकार के एवं परिवार के प्रति अच्छा नहीं है। उक्त सूचना मेरे पक्षकार द्वारा गुस्से में व बहकावे में आकर दी गई थी। उक्त पूर्व में दी गयी सूचना का आज मैं खण्डन करता हूं व पूर्व में दी गयी सूचना को इस सूचना से समाप्त समझा जावे।

भवदीय

घनश्याम नागर एडवोकेट, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100895 **लोक सूचना** दि.21.03.2025

श्री HARIOM MEENA पुत्र श्री RADHE SHYAM MEENA जाति MEENA निवासी BOHAT ROAD WARD NO 3 TEH MANGROL, HINGONIYA BARAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ताथेड़, लाडपुरा (कोटा)	HARIOM S/O RADHESHYAM CASTE MEENA SA. DADABARI KOTA KHATEDAR	1270/1024	0	0.93
2.	ताथेड़, लाडपुरा (कोटा)	HARIOM S/O RADHESHYAM CASTE MEENA SA. DADABARI KOTA KHATEDAR	1017	0	0.7
				कुल	1.63

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/3/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक:-एफ.7/डी.टी.पी./2025/441-45 दिनांक: 21.03.2025

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.2.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखंड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	ओमप्रकाश सुवालका पुत्र श्री बालचन्द सुवालका	भूखंड संख्या 3, योजना स्टोन मंडी अनन्तपुरा, कोटा	पत्थर मंडी	होटल प्रयोजनार्थ (पर्यटन ईकाई)	1115.241 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/19297 दिनांक: 21.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रिंस कोहली एवं श्री रिंसी कोहली पिसरान श्री रविन्द्र कोहली निवासी-135 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-135 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का स्वामित्व हस्तांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पत्रांक एफ (7275)आवंटन/न.वि.न्या./71-72 दिनांक 27.09.1972 से श्री ओम प्रकाश कोहली पुत्र श्री लाला कृपाराम कोहली को किया गया है। श्री ओम प्रकाश कोहली पुत्र श्री लाला कृपाराम कोहली की मृत्यु दिनांक 30.12.1976 को हो चुकी है। एवं श्रीमती विरावली कोहली पत्नी श्री ओम प्रकाश कोहली की मृत्यु दिनांक 09.09.2001 को हो चुकी है। व रविन्द्र कुमार कोहली पुत्र श्री ओम प्रकाश कोहली की मृत्यु दिनांक 15.05.2014 को हो चुकी है। व श्रीमती रजनी कोहली पत्नी श्री रविन्द्र कुमार कोहली की मृत्यु दिनांक 30.04.2019 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती पुनम पत्नी स्व. श्री वीरेन्द्र कुमार कोहली, श्री मनीष कोहली पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र कुमार कोहली, श्रीमती मोनिका सबरवाल पुत्री स्व. श्री वीरेन्द्र कुमार कोहली ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 27.11.2024 से उक्त भूखंड में से अपना हक श्री प्रिंस कोहली एवं श्री रिंसी कोहली पिसरान श्री रविन्द्र कोहली के पक्ष में त्याग दिया है। श्री प्रिंस कोहली एवं श्री रिंसी कोहली पिसरान श्री रविन्द्र कोहली के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हर बच्चे को चाहिए एक प्यार-भरा परिवार

जब किसी बच्चे के पास माता-पिता या संरक्षक के रूप में देखभाल करने वाले नहीं होते तो उन्हें प्यार भरा परिवार देने के लिए अडॉप्शन एक बेहतरीन तरीका है।

कौन अडॉप्ट कर सकता है?

जो पात्र भारतीय नागरिक और NRI/OCI/विदेशी नागरिक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें 'Parents' टैब से CARINGS पोर्टल (carings.wcd.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है।

NRI – भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं
OCI – भारतीय मूल के विदेशी नागरिक

अनाथ, घर वालों द्वारा छोड़ दिए गये या घर छोड़ने को मजबूर बच्चों के अडॉप्शन के प्रकार :

स्वदेश में अडॉप्शन
विदेश में अडॉप्शन
देश में रिश्तेदार द्वारा गोद लेना
विदेशी रिश्तेदार द्वारा गोद लेना
सौतेले माँ/बाप द्वारा गोद लेना
फ़ॉस्टर अडॉप्शन

बड़े बच्चों के लिए पारिवारिक देखभाल

फ़ॉस्टर केयर –
बच्चों को अस्थायी तौर पर परिवार में प्यार, देखभाल और सुरक्षा देने का तरीका है फ़ॉस्टर केयर।
• बच्चों की पात्रता :
6 से 18 साल तक के बच्चे फ़ॉस्टर केयर के लिए पात्र हैं।
• अभिभावकों की पात्रता :
जो लोग भारत में रहते हैं और बच्चे को फ़ॉस्टर करना चाहते हैं, वे CARINGS पोर्टल (carings.wcd.gov.in) पर रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मॉडल फ़ॉस्टर केयर गाइडलाइंस, 2024 पढ़ें।

फ़ॉस्टर अडॉप्शन –
फ़ॉस्टर केयर को अडॉप्शन में बदला जा सकता है, अगर :
• बच्चे को फ़ॉस्टर केयर में दो साल पूरे हो चुके हैं।
• बच्चा अडॉप्शन के लिए विधिक रूप से विमुक्त (LFA) है।
• बच्चे और माता-पिता दोनों ने अडॉप्शन के लिए सहमति दी है।

अवैध अडॉप्शन से बचें –
कोई भी व्यक्ति या संस्था जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना किसी अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे के दत्तक-ग्रहण से जुड़ा/ जुड़ी रही हो, वह दण्ड के योग्य होगी।

(अधिक जानकारी के लिए CARA हेल्पडेस्क से संपर्क करें : 1800-11-1311)